...का पत्र है

08/9/20 वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थी पुत्र श्री संतोष कुमार मीना SDO बयान के लिए पेश किया है। श्री संतोष कुमार मीना SDO बयान स्थानान्तरण अन्यत्र होजाने से प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रा.पत्र प्रथम दृष्टया (Infructuous) होनेसे खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

जिला कलक्टर
करौली (राज०)